

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग, विदिशा

email :- eepwvidisha@mp.nic.in

Tel. no. 07592-232805

क्रमांक 279 / त.शा. / मार्ग / 2022-23 /
प्रति,

विदिशा, दिनांक 13-1-23

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- विदिशा में लोहरा से झिरिया मंदिर तक मार्ग के निर्माण/उन्नयन हेतु 2.280 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB027/2022-BHO, दिनांक 12.10.2022 ।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है।

S.N.	Requirement	Compliance
1	KML File of layout plan of forest and non forest area shall be submitted and upload on e-portal.	KML file of complete road area is attached and upload on portal.
2	Detailed musk disposal scheme shall be submitted.	musk generated during the construction of road is very less in quantity and so this musk which will be generated is used in landfill and embaukment construction of road in non forest area.
3	Justification of location of the project (counter signed by DFO) need to be submitted.	Saperate copy of justification is attached.
4	Administration approval/sanction letter of the project.	Copy of A.A/T.S is attached.
5	Details of alternative alignments needs to be provided in KML file and also on toposheet.	Copy to toposheets is attached and copy of KML file is uploaded on portal.

सहपत्र -1- Justification of Location of the Project.

2- Topo Sheet Map of Alignment of Road

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा

पृ० क्रमांक..... / त.शा. / मार्ग / 2022-23 /
प्रतिलिपि -

विदिशा, दिनांक

- 1 वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल विदिशा की ओर सूचनार्थ ।
- 2 अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क. 1 विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहपत्र - शून्य ।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा

Justification of Location of the Project

This location of road project is major connectivity of two districts of madhya pradesh which is vidisha & raisen and it also reduces distance between tehsile headquarters of both districts which is helpful to local population of radius around 50 km.



Excutive Engineer

Pwd division vidisha



D.F.O

Division Vidisha

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/03/2018/19/यो.2153
प्रति,

भोपाल दिनांक 28/05/2018

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 170वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 170वीं बैठक जो दिनांक 24.01.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की उनके सम्मुख दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	विदिशा	24-5054-101-2457	लोहारा नौरजा झिरिया मंदिर हिनोतिया पंचौरी विनायकपुर से मंदिर सेतु से गेहूरास हरदौट	17.95	1214.95
2	रायसेन	24-5054-101-2457	सुकरा टीला कला	3.00	244.92
3	रायसेन	24-5054-101-2457	घौलपुर से घोघरी मार्ग	5.00	403.30
4	विदिशा	24-5054-103-2457	कुरवाई से मण्डी बामोरा मार्ग	8.80	999.21
5	सीहोर	24-5054-101-2457	इमलीखेड़ा से टाकपुर	4.50	243.80

2/ उक्त कार्यों को मांग संख्या 24-5054-101-2457 एवं 24-5054-103-2457 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जायें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित गति में किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नही

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाइट पर डाला जावे।

सहपत्र:-05 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


28-5-18
(आर0 के0 मेहता)
सचिव

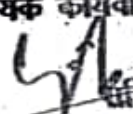
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
गोपाल दिनांक 28/05/2018

पृ0 क्रमांक एफ-43/02/2018/19/यो 2154

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (सिद्धा धरि) लोक निर्माण विभाग गोपाल।
 2. निज सचिव, मान मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, गोपाल।
 3. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।
- की ओर सूचनाएँ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजि।

सहपत्र-शून्य


सचिव 28-5-18
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

353
30/5/18

राजधानी मुख्य आभियंता (राजधानी पारि)
म.प्र.लोक निर्माण विभाग, भू-तल, निर्माण भव

web site: www.mp.gov.in/pwdmp_email:cpwdcapital@mp.mn Phone 9755-25

क्रमांक
प्रति,

1/संवार/विदिशा/ग्राम लोहरी (जोरजा) मार्ग/2017

भोपाल, दिनांक:

23-25/2/2018

अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
मंडल क्रमांक-ट मोपाल

विषय:- विदिशा जिले के उपरान्त ग्राम लोहरी (जोरजा) विदिशा मंडल विदिशा पंचायत मुख्यालय से मंडिया सेठ गेहूरास से हट्टोर मार्ग लम्बाई 17.95 कि.मी. की तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करने के लिए।
संदर्भ:- आमका पत्र क्रमांक: 6361, दिनांक: 02.11.2017

म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-82/1/10/यो/19-47/मोपाल/विदिशा/पंचायत मुख्यालय से मंडिया सेठ गेहूरास से हट्टोर मार्ग लम्बाई 17.95 कि.मी. के आधार पर रुपये 950.85 लाख (शब्दों में नौ करोड़ पचास लाख पचास हजार मात्र) की तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। जिसका तकनीकी स्वीकृति पंजी क्रमांक 56/1/नोव/मुअ (स.प.)/2018-19 है।

1. प्रदाय तकनीकी स्वीकृति राशि एवं प्रावधानानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्यवाही सम्पन्न की जावे एवं स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे।
2. तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन में सम्मिलित आयटमों के अतिरिक्त कोई भी अन्य आयटम सक्षम अधिकारी एवं इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावे।
3. कार्य के संपादन में एम.ओ.एस.टी एवं एम.ओ.आर.टी.एच. के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जावे।
4. पुल/पुलियों का विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात रुपांकन सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात की निर्माण कार्य कराया जावे। तथा विस्तृत सर्वेक्षण एवं सक्षम अधिकारी से लिये गये अनुमोदन की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र कि उक्त मार्ग एवं लम्बाई प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है, के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई है, उक्त तकनीकी स्वीकृति देने के उपरान्त यदि मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित होता है तो शासन द्वारा प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त हो जावेगी। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका एवं अधीनस्थों का होगा।
6. स्वीकृत प्राक्कलन में अनुमोदित एक रेखण के आधार पर ही निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करे।

सहपत्र:- प्राक्कलन।

मुख्य अभियंता (राज.परि.)
लोक निर्माण विभाग भोपाल
भोपाल, दिनांक: 11/05/2018

पृष्ठ क्रमांक 683/संवार/विदिशा/ग्राम लोहरी (जोरजा) मार्ग/2017
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित। उपरोक्त प्रदाय तकनीकी स्वीकृति रुपये 950.85 लाख के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कराने हेतु रुपये 1214.95 लाख का विस्तृत प्राक्कलन दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्रों सहित सलग्न प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा की ओर सूचनार्थ, प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपस्थित होकर प्राक्कलन का गठित लागत परीक्षण समिति में परीक्षण कराना सुनिश्चित करें।
3. सामान्य शाखा/बजट शाखा कार्यालय मुख्य अभियंता (राज.परि.) भोपाल की ओर सूचनार्थ अवेधित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार प्राक्कलन
(स. क. 1 हेतु)

मुख्य अभियंता (राज.परि.)
लोक निर्माण विभाग भोपाल